टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन उदयपुर (TAAU) (Regd.)

उदयपुर, राजस्थान

सदस्यता/सदस्यों के नियम एवं नियमावली

प्रस्तावना (Introduction)

टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन, उदयपुर (TAAU) की गरिमा, अनुशासन, सुचारू संचालन और व्यावसायिक उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए इस नियमावली की संरचना कि गयी है। एसोसिएशन का प्राथमिक उद्देश्य एसोसिएशन के सदस्यों के हितों की रक्षा करना, उनके व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना और एक स्वस्थ का वातावरण सुनिश्चित करना है।

1. सदस्यता के प्रकार (Types of Membership)

- **साधारण सदस्य (Ordinary Member):** ऐसे अधिवक्ता जो प्रतिवर्ष निर्धारित वार्षिक शुल्क का भुगतान कर एसोसिएशन की सक्रिय सदस्यता प्राप्त करते हैं।
- **आमंत्रित सदस्य (Invitee Member):** ऐसे व्यक्ति जो कर के क्षेत्र में कार्य कर रहे है जो प्रतिवर्ष निर्धारित वार्षिक शुल्क का भुगतान कर एसोसिएशन की सक्रिय सदस्यता प्राप्त करते हैं।

2. सदस्यता के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

एसोसिएशन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएँ होनी चाहिए:

- **शैक्षणिक योग्यता:**
  - **साधारण सदस्य** के आवेदक के पास भारत के किसी भी बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की स्नातक डिग्री (LL.B.) होना अनिवार्य है।
  - **आमंत्रित सदस्य** के आवेदक के पास भारत के किसी भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) कर रखी हो एवं बार काउन्सल के अलावा अन्य किसी प्रोफेशनल इंस्टिट्यूट की COP नहीं ले राखी हो।
- **व्यावसायिक पंजीकरण:**
  - **साधारण सदस्य** के आवेदक का 'बार काउंसिल ऑफ राजस्थान' (Bar Council of Rajasthan) में एक अधिवक्ता (Advocate) के रूप में वैध और सक्रिय पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा उनके पास 'प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र' (COP) एवं व्यवसाय के लिए नियमित कार्यालय होना चाहिए।

- **आमंत्रित सदस्य** के आवेदी के पास वैध स्नातक (Graduation) डिग्री, टैक्स प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट, बार काउन्सल के अलावा अन्य किसी प्रोफेशनल इंस्टिट्यूट की COP नहीं ले राखी हो एवं व्यवसाय के लिए नियमित कार्यालय होना चाहिए।

- **कार्यक्षेत्र एवं अभ्यास:** आवेदक मुख्य रूप से उदयपुर संभाग में प्रत्यक्ष (Direct Taxation) या अप्रत्यक्ष (Indirect Taxation) कर कानून के क्षेत्र में नियमित रूप से वकालत में सक्रिय होना चाहिए।
- **नैतिक चरित्र:** आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, न ही बार काउंसिल द्वारा उन्हें कभी पेशेवर कदाचार (Professional Misconduct) के लिए निलंबित या निष्कासित किया गया हो।

3. आवेदन एवं चयन प्रक्रिया (Application Process)

- **आवेदन पत्र:** इच्छुक योग्य अधिवक्ता को एसोसिएशन द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ 'सदस्यता आवेदन फॉर्म' कार्यालय में जमा करना होगा।
- **अनिवार्य दस्तावेज:** आवेदन फॉर्म के साथ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का पंजीकरण प्रमाणपत्र, एआईबीई (AIBE) या कॉप (COP) की प्रति, Graduation की प्रति, स्थानीय निवास का प्रमाण, कार्यालय के फोटो और दो नवीन पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना आवश्यक है।
- **प्रस्तावक और समर्थक:** प्रत्येक नए आवेदन पत्र पर एसोसिएशन के कम से कम दो मौजूदा सक्रिय सदस्यों के क्रमशः प्रस्तावक (Proposer) और समर्थक (Seconder) के रूप में हस्ताक्षर/सिफारिश होना अनिवार्य है। (प्रस्तावक एवं समर्थक की किसी भी प्रकार की फीस बकाया नहीं होनी चाहिए)
- **समिति का निर्णय:** सभी आवेदनों की समीक्षा समन्वय समिति (Coordination Committee) द्वारा की जाएगी। किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

4. सदस्यता शुल्क संरचना (Membership Fees Structure)

एसोसिएशन के कोष और प्रबंधन के संचालन हेतु शुल्क तथा अन्य चार्ज निम्नानुसार निर्धारित हैं (जिसमें समय-समय पर कार्यकारिणी द्वारा संशोधन किया जा सकता है):

- **प्रवेश शुल्क (Admission Fee):** ₹ 1500/- (केवल नए सदस्यों के लिए, प्रवेश के समय देय)
- **वार्षिक सदस्यता शुल्क (Annual Subscription Fee):** ₹ 2000/- प्रति वर्ष (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई तक अग्रिम जमा कराना अनिवार्य है उसके बाद ₹ 500/- विलंब शुल्क लगेगा)

***नोट:** आमंत्रित सदस्य अगर भविष्य में भारत के किसी भी बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की स्नातक डिग्री (LL.B.) उत्तीर्ण कर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का पंजीकरण प्रमाणपत्र, एआईबीई (AIBE) या कॉप (COP) की प्रति जमा करवा देता है तो उसे बिना नवीन प्रवेश शुल्क लिए साधारण सदस्य की श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा।

5. सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य (Rights & Duties of Members)

सदस्यों के अधिकार:

- एसोसिएशन के सामान्य अधिवेशनों और विशेष बैठकों में भाग लेने का अधिकार। (कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाए नियम के अनुसार या तय किए गए शुल्क के आधार पर)
- एसोसिएशन द्वारा आयोजित सभी सेमिनार, वेबिनार, कार्यशालाओं, विधिक चर्चाओं का लाभ उठाने का अधिकार। (कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाए नियम के अनुसार या तय किए गए शुल्क के आधार पर)
- एसोसिएशन द्वारा आयोजित सभी खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पिकनिक/ टूर आदि का लाभ उठाने का अधिकार (कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाए नियम के अनुसार या तय किए गए शुल्क के आधार पर)।

सदस्यों के कर्तव्य:

- एसोसिएशन के संविधान, नियमों, उप-नियमों और बार के स्थापित शिष्टाचारों का पूर्ण निष्ठा से पालन करना।
- कर कानून के क्षेत्र में व्यावसायिक नैतिकता (Professional Ethics) और ईमानदारी बनाए रखना।
- एसोसिएशन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने सभी देय शुल्कों का नियमित भुगतान करना।

6. समन्वय समिति के नियम (Coordination Committee Rules)

एसोसिएशन के भीतर अनुशासन, भाईचारा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र क्रियाशील रहेगी:

- **समिति का गठन:** समन्वय समिति का गठन साधारण सभा या नोमीनेशन समिति के आधार पर किया जाएगा।
- **सह-समितियों का गठन:** समन्वय समिति समय समय पर आवश्यकता अनुसार सह समितिया बनाने में सक्षम होगी।
- **नोमीनैशन समिति:** समन्वय समिति का कार्यकाल खत्म होने से पूर्व एक नामनैशन समिति का गठन समन्वय समिति द्वारा किया जाएगा जिसका एक मात्र कार्य आगामी नई समन्वय समिति का गठन करना ही होगा। आम सभा में अनुमोदन होते ही यह समिति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।
- **अनुशासनहीनता के दायरे:** एसोसिएशन के आधिकारिक मंचों या सोशल मीडिया ग्रुप्स (जैसे WhatsApp) पर अभद्र भाषा, चित्र (photo) का प्रयोग, टीका-टिपण्णी, वाद-विवाद व ऐसा कार्य जिससे किसी अन्य सदस्य/सदस्यों को आघात पहुचने वाले कार्य, पदाधिकारियों या सह-सदस्यों की छवि धूमिल करना, वित्तीय अनियमितता या एसोसिएशन के हितों के विपरीत कार्य करना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा।

- **शिकायत एवं निष्पक्ष जांच:** किसी भी सदस्य के विरुद्ध लिखित शिकायत प्राप्त होने पर समन्वय समिति जांच शुरू करेगी। प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों के तहत आरोपी सदस्य को अपना पक्ष रखने के लिए 7 से 14 दिनों का लिखित स्पष्टीकरण का समय दिया जाएगा।

  कार्रवाई: कृत्य सिद्ध होने पर समन्वय समिति कृत्य की गंभीरता के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है: (1) लिखित चेतावनी, (2) निश्चित अवधि के लिए सदस्यता से निलंबन, (3) एसोसिएशन से स्थायी निष्कासन (इसके लिए कार्यकारिणी के 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होगी)।

7. सदस्यता की समाप्ति (Termination of Membership)

किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वतः या आदेशानुसार समाप्त मानी जाएगी:

- सदस्य द्वारा स्वेच्छा से दिया गया लिखित इस्तीफा बकाया राशि का भुगतान करने पर समन्वय समिति द्वारा स्वीकार होने पर।
- निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भी वार्षिक सदस्यता शुल्क एक वर्ष तक जमा न कराने पर। (जो की वर्तमान वर्ष 2026-27 की अंतिम तिथि 31 जुलाई,2026 है)

  (**उदाहरण:** अगर कोई सदस्य वर्ष 2026-27 की वार्षिक फीस अगले वर्ष (2027-28) की वार्षिक फीस की अंतिम तिथि (31 जुलाई,2027) तक भी जमा नहीं करवाता है तो उसकी सदस्यता 31 जुलाई, 2027 को रात 12:00 बजे स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं उसे पुनः सदस्य बनने के लिए पूर्व बकाया (विलंब शुल्क के साथ) और सदस्यता शुल्क एवं वार्षिक फीस एक साथ जमा करवाना होगा।)
- बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ता का पंजीकरण या लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए जाने पर।
- गंभीर कदाचार के कारण समन्वय समिति द्वारा निष्कासित किए जाने पर।
- किसी प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड को सक्षम अथॉरिटी द्वारा स्वीकार करने पर।